F NO. T-74074/10/2019-WSE DTE/1457

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 17.12.2019

विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतीकरण।

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (कार्य योजना एवं परियोजना /अभिकल्प एवं अनुसंधान / नदी प्रबंध) के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

अंजना
17/12/2019
वरिष्ठ कलाकार
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

संलग्नक: उपरोक्त

उप निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

17/12/2019

निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

17-12-19

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली

प्रतिलिपि

सदस्य (जल योजना एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान / नदी प्रबंध) और

जानकारी हेतु - सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर देखें।

द्वितीय तल(दक्षिण), सेवा भवन
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066
दूरभाष: 011-29583521,
ई मेल: wsedte-cwc@gov.in
♦जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य♦

2nd Floor(South), SewaBhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Tel: 011-29583521
E-mail: wsedte-cwc@gov.in
♦Conserve Water- Save Life♦

News item/letter/article/editorial published on 17.12.2019 .... in the following newspaper

- [ ] Hindustan Times (New Delhi)
- [ ] The Statesman (New Delhi)
- [ ] The Times of India (New Delhi)
- [ ] The Indian Express (New Delhi)
- [ ] The Hindu (Delhi)
- [ ] Pioneer (Delhi)
- [ ] राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)
- [ ] Deccan Herald (Bengaluru)
- [ ] Deccan Cronicle
- [ ] The Economic Times (New Delhi)
- [x] Business Standard(New Delhi)
- [ ] The Tribune (Gurugram)
- [ ] Financial Express
- [ ] दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)
- [ ] हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
- [ ] नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
- [ ] पंजाब केसरी (दिल्ली)
- [ ] राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
- [ ] दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
- [ ] जनसत्ता (दिल्ली)
- [ ] अमर उजाला (नई दिल्ली)

and documented at WSE Dte, CWC.

Capital shivers at 12.9°C, coldest Dec day in 16 years

IE-17

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, DECEMBER 16

THE MAXIMUM temperature in Delhi dropped to 12.9 degrees Celsius, 10 degrees below normal and the lowest December temperature in 16 years. Cold winds lashed the city and a dense cloud cover, owing to an active western disturbance that has brought widespread snow to Himachal Pradesh and Uttarakhand, persisted throughout the day making Delhi shiver.

The last time temperature slipped to this extent was on December 25, 2003, when the maximum temperature was recorded at 12.3 degrees Celsius.

On Monday morning, dense fog was observed in Delhi. The difference between the minimum temperature, which is recorded in the early morning hours, and the maximum temperature, recorded between 1.30 pm and 4 pm, was just 2.7 degrees Celsius. This was two degrees above normal and is attributed to a dense cloud cover that trapped heat overnight.

"Most parts of North West India saw a very dense and low-hanging cloud cover Monday, which persisted throughout the day," said R K Jenamani, director-in-charge, IMD Palam centre.

According to forecasts, temperature on Tuesday is also expected to be well below normal.

'Tuesday is expected to see a mainly clear sky. Moderate fog is expected in the morning. Severe cold conditions are expected in a few places. The temperature is expected to be between 7 degrees and 14 degrees Celsius," the official forecast issued by IMD said.

The lowest maximum temperature ever was 11.2 degrees Celsius, which was recorded on December 28, 1973.

The air quality in the city was moderate Monday, an improvement from the 'poor' category Sunday. The prime reason for this was slightly better wind speed, SAFAR officials said.

THE WEEK AHEAD

DAY	MIN	MAX	FORECAST
Tue	7.0°C	14.0°C	Cold day
Wed	7.0°C	15.0°C	Cold day
Thur	7.0°C	18.0°C	Moderate fog
Fri	9.0°C	20.0°C	Shallow fog
Sat	10.0°C	20.0°C	Rain or thundershowers
Sun	9.0°C	20.0°C	Partly cloudy, chance of rain or thunderstorm

News item/letter/article/editorial published on 17.12.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐
हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐		
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☑		
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐		

and documented at WSE Dte, CWC.

Court takes note of unsafe water report

TRIBUNE NEWS SERVICE T-17

CHANDIGARH, DECEMBER 16

The Punjab and Haryana High Court today issued notice to the state government after taking cognisance of a letter forwarding a news report "Ground water unsafe for drinking in state" carried in these columns on November 18.

The matter was treated as suo motu or "court on its own motion" case by the Division Bench of Chief Justice Ravi Shanker Jha and Justice Rajiv Sharma after a reader, KS Nagra, forwarded the news report to the High Court. The report, among other things, stated that the groundwater contamination in the state had reached alarming proportions. While the Majha region had high arsenic contamination, Doaba was afflicted by selenium and groundwater in Malwa has high uranium content.

The report was based on the findings of a recent research

conducted by physicist Hardev Singh Virk. The study pointed out how Punjab was facing a crisis situation due to high levels of heavy metals and uranium in groundwater. The research was based on the findings of the Punjab Water Supply and Sanitation Department report, which had collected samples from 2,080 habitations.

The matter has been tagged along with another writ petition filed in 2010 by Brijinder Singh Loomba against the Union Government and other respondents and will come up for further hearing in January.

News item/letter/article/editorial published on 17.12.2019 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐ Deccan Herald (Bengaluru)	☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐ Deccan Cronicle	☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐ The Economic Times (New Delhi)	☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐ Business Standard(New Delhi)	☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐ The Tribune (Gurugram)	☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☑
Pioneer (Delhi)	☐ Financial Express	☐ जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में पेयजल संकट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में ही शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई जरूरत से भी कम हो पाती है। ज्यादातर क्षेत्रों में प्रदूषित जलापूर्ति होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल से रोजाना 55 लीटर पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाती है और न ही शुद्ध जलापूर्ति हो रही है। जबकि, इन राज्यों में नदियों का जाल है। पेयजल प्रबंधन में इन राज्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

संसद में पूछे लिखित सवालों के जवाब में मंत्रालय ने विस्तार से ब्योरा दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े कुल 2.60 लाख गांवों में से ज्यादातर में प्रति व्यक्ति रोजाना 40 लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। दो हजार गांवों में तो इतना भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि एक हजार से अधिक गांवों के लोग अति प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। फिलहाल ज्यादातर गांवों में नल से पानी की आपूर्ति का बंदोबस्त नहीं है।

मानसून सीजन में नदियों के पानी लबालब रहने वाले बिहार में पेयजल की हालत ठीक नहीं है। कुल 1.10 लाख छोटे गांवों में से 70 हजार गांवों में प्रति व्यक्ति को रोजाना 40 लीटर पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। 35 हजार से अधिक गांवों को पानी की यह मात्रा भी नसीब नहीं हो पा रही है। लगभग चार हजार गांवों के लोग प्रदूषित व घातक रसायन मिश्रित पानी पीने को मजबूर हैं।

चुनौती

- **उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब की हालत खराब**
- **हर ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति रोज 55 लीटर जलापूर्ति का लक्ष्य**

पश्चिम बंगाल की हालत इन राज्यों से भी खराब है। यहां 1.07 लाख गांव हैं, जिनमें से 61 हजार गांवों को रोजाना प्रति व्यक्ति 40 लीटर जलापूर्ति का दावा है। 32 गांवों को यह भी मयस्सर नहीं है। 13 हजार से अधिक गांव में लोग खतरनाक रसायनयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उत्तरी राज्यों में पंजाब एक ऐसा राज्य हैं, जहां नदियों की संख्या अधिक है। लेकिन, यहां भी पेयजल की सप्लाई कमोबेश वैसी ही है। यहां के 15 हजार गांवों में से 10 हजार में 40 लीटर प्रति व्यक्ति रोज पानी मिलता है। साढ़े तीन हजार गांवों की हालत बहुत दयनीय है, जहां के लोगों को जहरीले तत्वों से युक्त पानी पीना पड़ता है। इन राज्यों से होकर छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, लेकिन जल प्रबंधन न होने की वजह से हालत खराब हो चुकी है।

News item/letter/article/editorial published on 17.12.2019 .... in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐

हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐		
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☑		
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐		

and documented at WSE Dte, CWC.

RP-17/12

दस जिलों को इस नहर से मिलता है पानी

बीबीएमबी आज करेगा प्रदेश के शेयर की समीक्षा

इंदिरागांधी नहर के रेग्यूलेशन की स्थिति होगी साफ

हनुमानगढ@पत्रिका. इंदिरागांधी नहर के रेग्यूलेशन को लेकर मंगलवार को स्थिति साफ हो सकेगी। बांधों में आवक की ताजा स्थिति की समीक्षा करने को लेकर बीबीएमबी की आपात बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में होगी। इसमें बांधों के जल स्तर के आधार पर आगे का शेयर निर्धारित किया जाएगा। बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद कुमार मित्तल करेंगे।

उन्होंने बताया कि बैठक में किसान संगठन जिस रेग्यूलेशन की मांग कर रहे हैं, उससे बीबीएमबी को अवगत करवा देंगे। तय शेयर के अनुसार जितना पानी प्रदेश को मिलेगा, उसी हिसाब से नहरों में चलाएंगे। वहीं किसान संघ के तत्वावधान में सोमवार को भी हनुमानगढ़ में मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष क्रमिक धरना जारी रहा। किसानों ने नारेबाजी कर मुख्य अभियंता के खिलाफ रोष जाहिर किया। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के बाद केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान के उच्चाधिकारियों से इस मामले में चर्चा कर इंदिरागांधी नहर के रेग्यूलेशन को लेकर निर्देशित किया था। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी बांधों के जल स्तर में कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ है। आवक की स्थिति भी काफी कमजोर है। इस स्थिति में बरसात का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों की मांगों से हम बीबीएमबी को अवगत करवा देंगे।

जल स्तर पर नजर : भाखड़ा बांध का 16 दिसम्बर 2018 को लेवल 1663.76 फीट था। वर्ष 2019 में इसका जल स्तर 1651.09 फीट रह गया है। इसी तरह पौंग का जल स्तर वर्ष 2018 में 1369.74 फीट था, जबकि इस वर्ष 1372.10 फीट हो गया है। रणजीत सागर बांध का जल स्तर गत वर्ष 518.45 मीटर था, इस वर्ष भी इसके जल स्तर में कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ है। इंदिरागांधी नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर,जैसलमेर, नागौर सहित प्रदेश के दस जिलों को जलापूर्ति होती है।